न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 74/2021

राजकुमार पिता देवीलाल जाति कुम्हार निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. सोनू पिता लालाराम जाति कुम्हार निवासी बिगोद तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. राकेश पिता लालाराम जाति कुम्हार निवासी बिगोद तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री एस.एन. माली
श्री भोलेश कुमार भट्ट
अधिवकता विपक्षी

आदेश दिनांक ::– 04.12.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा वादपत्र वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है जिसका निस्तारण में समय लगेगा, विपक्षीगण को पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। यह कि ग्राम मेघपुरा पटवार हल्का मेघपुरा में खतौनी सम्वत 2072–75 में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है:–

खाता संख्या	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
124	नारायण देवीलाल परमानंन्द पिता बालू कुम्हार सा0देह (आ0सं0 811 का हिस्सा परमानन्द का प्रकाश पिता भागीरथ ब्राम्हण डोराई के नाम दर्ज हुआ)	811	0.2260
		862/56मी.	1.4730
		कीता–2	1.699
125	नारायणलाल देवीलाल पिता बालू कुम्हार 2/3प्रकाश पिता भागीरथ ब्राम्हण सा.डोराई 2/15 श्रीमति जशोदा बाई पत्नी सुनीलकुमार पंचोली पुत्री रामचन्द्र तिवारी हि0 1/5सा0देह	812	0.2350
		कीता–1	0.2350
126	नारायणलाल देवीलाल परमानन्द पिता बालु कुम्हार सा0देह खातेदार	680	0.0320
		681	0.0160
		866	0.4630
		867	0.0240
		कीता–4	0.5350
285	नाराण पिता बालू कुम्हार सा0 देह गैरखातेदार	968/56	0.6480
		कीता–1	0.6480

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में साहखातेदार नारायण पिता बालू जो प्रार्थी के बडे पिता थे उनके कोई पुत्र पुत्री औलाद नहीं होने से एवं उनकी सगी सेवा चाकरी प्रार्थी द्वारा किये जाने से अपनी जीवितावस्था में पूर्ण होश हवाश में प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 30.12.2002 को एक वसीयतपत्र अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का मालिक स्वामी उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थी के बनने बाबत निष्पादित करवा उपस्थित साक्षियो के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवा अपने हस्ताक्षर कर दिये एवं नोटरी बल्कि से प्रमाणित करवाया था। यह वसीयत उनकी अंतिम वसीयत होने से प्रभाव में थी इस वसीयत के आधार पर नारायण पिता बालू जी के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा आराजीयात का नारायण जी की वर्ष 2005 में मृत्यु हो जाने पश्चात से प्रार्थी मालिक स्वामी काश्तकार खातेदार बना। मौके पर भी नारायण जी की मृत्यु पश्चात से ही उनकी हिस्सा आराजीयात पर प्रार्थी काबिज हो काश्त कर रहा है।

यह कि स्व0 नारायण का वर्ष 2005 में देहावसान हो जाने एवं उनकी वसीयत के आधार पर प्रार्थी के उनके हिस्से की आराजीयात का मालिक स्वामी बन जाने से प्रार्थी ने प्रशासन गॉव के संग कैम्प में एक आवेदन उनकी आरीयात को वसीयत के आधार पर नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बाबत विपक्षी सं0 3 तहसीलदार साहब भूमिधारी जी के यहां प्रस्तुत किया एवं वसीयत अंकित गवाही को प्रस्तुत कर अपनी वसीयत को अंतिम एवं वैद्य होना प्रमाणित करवाया।

यह कि तहसीलदार साहब बेगूं ने उक्त वसीयत को प्रभाव में मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत वादी को आश्वासन दिया जिससे प्रार्थी इसी प्रभाव में था कि नारायण जी की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है। किन्तु जब हाल ही में प्रार्थी ने उक्त आराजीयात की हल्का पटवारी जी से नकले प्राप्त की तो जानकारी में आया कि आराजीयात का खाता तहसीलदार साहब ने नारायण के हिस्सा का 1/2 प्रार्थी वादी के नाम एवं नारायण जी का हिस्सा 1/2 विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम विधि विरूद्ध एवं अवैध प्रकिया अपना कर जरिये नामान्तरण संख्या 954 से दर्ज कर दिया। तहसीलदार साहब द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 954 का निर्णय विधि विरूद्ध एवं अवैध निष्रय की परिभाषा में होकर प्रार्थी के अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य निःष्प्रभावी है।

यह कि प्रार्थी ने जब मृतक नारायण जी का नामान्तरण गलत तौर पर कर दिये जाने की जानकारी आने पर विपक्षी सं0 1 व 2 से तहसील कार्यालय में चलकर खाता सही कराने बाबत कहा तो वे टालमटूल करते रहे एवं दिनांक 17.8.2021 को उन्होने खाता सही कराने से मना कर दिया। दिनांक 06.09.2021 को विपक्षी सं0 1 व 2 ग्राम मेघपुरा में आये एवं आकर प्रार्थी को धमकियां दे गये कि हमारे नाम दर्ज हिस्सा आराजीयात हमे सौप देना हम इस हिस्सा ाूमि को किसी को भी विक्रय करेगें। तत्पश्चात ग्राम में भी कह गये कि जमीन हमारे नाम पर आ गई जो हम तो विक्रय करेगें जो भी लेना चाहे हमसे सम्पर्क कर ले।

यह कि वाद वर्णित आराजीयात में स्व0 नारायण जी का सम्पूर्ण हिस्सा का मालिक स्वामी खातेदार काश्तकार जरिये वसीयतपत्र प्रार्थी हो चुका है एवं विपक्षी सं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात में अवैध एवं गलत प्रकिया के आधार पर नाम दर्ज हो गया जिसका फायदा उठाते हुए विपक्षी सं0 1 व2 प्रार्थी को अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को हस्तान्तरण की धमकिया दे रहे है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात में किसी तरह का हक हकूक नहं होते हुए मात्र गलत एवं अवैध तरीके से भूमि उनके नाम आ जाने के कारण यदि भूमि को हस्तान्तरित करते है तो प्रार्थी को भारी अपूर्तनीय हानि होगी इसके विपरीत यदि उन्हें पाबंद किया जाता है तो उनका किसी तरह का हक अधिकार नहीं होने से उन्हें किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद वर्णित ग्राम मेघपुरा की आराजीयात

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

को किसी को भी किसी भी रूप में रहन बय बेचान नहीं करें एवं वादी के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि से करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन. माली द्वारा अपना अधिकार पत्र मूल वादपत्र में प्रस्तुत कर इस प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मृतक नारायण जी के जाईन्दा पुत्री होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 मृतक नारायण के दोहित्र है शेष कथन भी गलत होकर अस्वीकार है। मृतक नारायण जी ने कोई वसीयत निष्पादित नही की तथाकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित होकर फर्जी तरीके से तैयार की गई है शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। वाद वर्णित भूमि पर विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित है।

नारायण जी का निधन होना स्वीकार है शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। उक्त तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर विपक्षी संख्या 3 कंथहा प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कर विपक्षीगण की जानकारी के वगैर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत जाकर विपक्षीगण को वगैर सुने गलत प्रमाणीकरण कराया है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 3 से मिलीभगत कर गलत नामान्तरण कराया है। उक्त नारायण जी की सम्पत्ति के सम्पूर्ण मालिक स्वामी विपक्षी संख्या 1 व 2 है। इसके लिये विपक्षी द्वारा उक्त फर्जी वसीयत को निरस्त कराने का वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया है जो विचाराधीन है।

प्रार्थी ने विपक्षी की जानकारी के वगैर विपक्षी संख्या 3 से मिलकर गलत कार्यवाही की जिसके विरूद्ध विपक्षी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है शेष कथन भी गलत होकर अस्वीकार है। एवं न ही वर्तमान में है। बल्कि उक्त भूमि पर विपक्षी काबिज हो काश्त कर रहे है। प्रार्थी उक्त भूमि का मालिक स्वामी नहीं है प्रार्थी ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। कानूनन पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत करने का किसी को अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पर जन्म से ही विपक्षीगण की पैत्रिक सम्पत्ति होरक उनका हक अधिकार हैं। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। उक्त भूमि विपक्षीगण की पैतृक भूमि पर होकर उनके कब्जे काश्त में है। यदि विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें भारी अपूर्णनीय क्षति होगी इसके विपरीत प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा।प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का सन्तुलन नहीं हैं।

जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी ने तथाकथित फर्जी एवं कूटरचित वसीयत की दिनांक 30.12.2002 बताई एवं वसीयत से नामान्तरण कराने का प्रार्थना पत्र 2017 में प्रस्तुत करना बताया है। जिससे ही साबित है कि उक्त तथाकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है क्यो कि प्रार्थी ने 15 वर्षो तक उक्त वसीयत को कही प्रकट नहीं किया है, जो संदेहास्प्रद होकर वसीयत को फर्जी होना प्रमाणित करता है। यह कि विपक्षी संख्या 1व 2 मृतक नारायण के दोहित्र होकर उक्त सम्पत्ति नारायण की पैत्रिक सम्पत्ति होने से उक्त सम्पत्ति पर विपक्षीगण का जन्म से ही हक अधिकार होता है एवं कानूनन पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत नही की जा सकती हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 2 की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री भोलेश कुमार भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र में जो जवाब प्रस्तुत किया वह विपक्षी संख्या 1 के जवाब के अनुसार ही प्रस्तुत करत हुए प्रार्थना पत्र की सभी कलमो को अस्वीकार करते हुए तथाकथित वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज होना बताया है। साथ ही वर्णित सम्पत्ति को पैत्रिक सम्पत्ति होकर पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती का उल्लेख किया है तथा विपक्षी संख्या 1 के अनुसार ही विशेष कथन में भी अंकित किया है कि कूटरचित वसीयत दिनांक 30.12.2002 को बताई है एवं वसीयत से नामान्तरण कराने का प्रार्थना पत्र वर्ष 2017 मे प्रस्तुत करना बताया है। जिससे साबित है कि उक्त तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 व 2 मृतक नारायण के दोहित्र होकर उक्त सम्पत्ति नारायाण की पैत्रिक सम्पत्ति होने से उक्त सम्पत्ति पर विपक्षीगण का जन्म से हक अधिकार होता है

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

एवं कानून पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है का उल्लेख करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में जवाब विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत होने एवं भूमिधारी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि कि मृतक नारायण जी द्वारा वसीयत राजकुमार के नाम पर निष्पादित की थी जिसमें सम्पूर्ण सम्पत्ति का अंकन किया था जिससे नारायण जी की कृषि भूमि में प्रार्थी राजकुमार का 1/2 व विपक्षी सोनू व राकेश का हिस्सा 1/2 होता है, विपक्षीगण आराजी को विक्रय करने की धमकी दे रहे है. जिन्हें पाबंद किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। नारायण जी की पुत्री की मृत्यु 2003 में ही हो गई थी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावें।

अधिवाक्ता विपक्षगण श्री एस.एन. माली व श्री भोलेश भट्ट द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत उनके जवाब के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती हैं। तथा मृतक नारायण जी की पुत्री पुष्पावाई थी उनका नारायण जी की सम्पत्ति में अधिकार है तथा हम विपक्षीगण उनके पुत्र होकर सोनू व राकेश का इस सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। नारायण जी द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है यह जो वसीयत बताई जा रही है वह फर्जी व कूटरचित है क्यो कि वसीयत को वर्ष 2002 में निष्पादित किया जाने बताया गया है जबकि उस वसीयत के आधार पर वर्ष 2017 में भूमि अपने नाम कराने हेतु प्रार्थी ने इस्तमाल किया है तो इतने वर्षो तक वसीयत को क्यो छुपाये रखा था। नारायण जी की मृत्यु होना 2005 में अंकित किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस के समय जो न्यायिक उदहरण की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है उनमें 1– आर आर डी 2004 पेज 65, 2– डी.एन.जे. 2015 (रेवेन्यु) पेज 166, 3– डी.एन.जे. 2013 (3) पेज 1037 पेश किये है जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

आर आर डी में जो न्यायिक सिद्धान्त दिया है उसमें आर आर डी में अंकित किया है कि All Co-sharers are deemed in possession of the enire land, hence temporary injunction cannot be issued against any co-sharer Order of R A A,set aside.

डी.एन.जे. वर्ष 2015 पेज संख्या 166 में न्यायिक दृष्टान्त दर्शाया है कि " परिवार की भूमि वसीयत के द्वारा एक पुत्र के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं की जा सकती भूमि के हस्तान्तरण पूर्व कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है लेकिन डी.एस. द्वारा कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी वसीयत प्रभाव शून्य है– हान्तातरण शमन नहीं किया जा सकता क्यो कि अन्य सदस्यों का हित अन्तर्वलित है।

इसी प्रकार डी.एन.जे. 2013 पेज 1037 में दर्शाया है कि उत्तराधिकार अधिनियम 1925 धारा 272 सपठित 276 वसीयत दिनांक 8.5.1949 के आधार पर प्रोबेट चाहा वसीयतकर्ता का दिनांक 8.11.1952 को देहावसान हुआ विचारण न्यायालय ने निर्णित किया कि वसीयत सन्देहास्पद परिस्थितियों से घिरी हुई है वसीयत के 41 वर्ष बाद प्रोबेट चाहा अनुप्रमाणक गवाहो में भी मामले का समर्थन नही किया निणीत आवेदन खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप आवयक नहीं है।

उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टान्त व जवाब विपक्षीगण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना के निस्तारण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है :–

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा मेघपुरा की सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 285 में दर्ज आराजी संख्या 965/56 रकबा 0.6480 हैक्टर भूमि के खातेदार नारायण पिता बालु कुम्हार सा.देह गैरखातेदार दर्ज है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है, कि नामा0सं0 954 दिनांक 30.06.2017से न्यायालय आदेश से नारायण पिता बालू के बजाय खाता श्री राजकुमार पिता देवीलाल 1/2, सोनू राकेश पिता लालाराम 1/2 कुम्हार सा. बिगोद जिला भील वाडा के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार इस कृषि आराजीयात के प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा मेघपुरा की सम्वत 2072–75 खाता संख्या 124 में दर्ज आराजी संख्या 811, 962/56मी कीता– 2 कुल रकबा 1.6990 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नारायण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

देवीलाल रामानन्द पिता बालू कुम्हार सा.देह खातेदार गहन हिस्सा रामानन्द व देवीलाल का राजनद ग्रा. से. स. लि. मेवापुरा के नाम अंकित होकर जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि ना. सं. 954 दिनांक 30.6.2017 से न्यायालय आदेश से नारायणलाल पिता बालू कुम्हार के बजाय राजकुमार पिता देवीलाल 1/6 सा.देह सोनू राकेश पिता लालाराम 1/6 कुम्हार सा. बिगोद जिला भीलवाड़ा के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार खाता संख्या 125 में भी दर्ज आराजी संख्या 812 रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि जो कि श्री नारायणलाल देवीलाल पिता बालू 2/3 रामानन्द पिता बालू 2/15 कुम्हार श्रीमती जशोदाबाई पत्नी सुनीलकुमार रुपोली पुत्री रामचन्द्र तिवाड़ी हि. 1/5 सा.देह खातेदार दर्ज होकर जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ हैकि नामा.सं. 954 दिनांक 30.06.2017 से न्यायालय आदेश से नारायणलाल पिता बालू कुम्हार के बजाय श्री राजकुमार पिता देवीलाल 1/6सा.देह सोनू राकेश पिता लालाराम 1/6 कुम्हार सा. बिगोद जिला भीलवाड़ा दर्ज अंकित है।

इसी प्रकार जमाबंदी मौजा मेवापुरा के खाता संख्या 128 में दर्ज आराजी संख्या 880,881,886,887 बीघा–4 कुल रकबा 0.5350 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नारायणलाल देवीलाल रामानन्द पिता बालू कुम्हार सा.देह खातेदार गहन हि. रामानन्द देवीलाल पिता बालू का हि. राजनद ग्रा.से.स.स. मेवापुरा के नाम दर्ज है जमाबंदी में नोट अंकित है कि ना.सं. 954 दिनांक 30.6.2017 से न्यायालय आदेश से नारायणलाल पिता बालू कुम्हार के बजाय श्री राजकुमार पिता देवीलाल 128 सा. देह सोनू राकेश पिता लालाराम 128 सा. बिगोद जिला भीलवाड़ा के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। पत्रावली में प्रस्तुत वसीयतनामा जो कि नारायणलाल पिता बालू जी कुम्हार द्वारा श्री राजकुमार पिता देवीलाल के नाम पर निष्पादित किया है यह वसीयतनामा अपंजीकृत है। साथ ही प्रार्थी इस वसीयत के आधार पर ही वर्णित कृषि आराजीयात के लिए दावापत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लेकर आए है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अनुसार एवं यह वर्णित आराजीयात पैत्रिक कृषि आराजीयात है जिसकी वसीयत नहीं किये जाने बाबत न्यायिक दृष्टान्त पर अपनी बहस में निवेदन भी किया है। वर्णित कृषि आराजीयात जो कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी है न्याय के सिद्धान्त अनुसार किसी भी खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है लेकिन प्रार्थी का यह कथन है कि वह दावा जो लाए है वह वसीयत के आधार पर होकर वसीयत में सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रार्थी के नाम पर की है जिससे दावा घोषणा का लाया गया है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का प्रस्तुत किया है। यदि खाते में नाम होने का लाभ उठाते हुए विपक्षीगण द्वारा यदि वर्णित कृषि भूमि का उनके हिस्से में आई भूमि का विक्रय कर खुर्द बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थी का दावा लाना व्यर्थ होगा। हमारी विनम्र राय से वसीयत जो की गई वह सही है या नहीं है क्या वसीयत के आधार वादी/प्रार्थी वर्णित कृषि आराजी सम्पूर्ण की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है अथवा नहीं यह सभी तथ्य दावापत्र में देखे जाने है ।

पत्रावली में नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात के प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार होकर उनके हिस्से जमाबंदी में अंकित किए हुए है तथा हिस्सानुसार दोनों ही पक्ष अपने अपने कब्जे का कथन करते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपीलान्तर्गत निर्णय तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट पर्चानोका व बयान गवाह पत्रावली में प्रस्तुत किए जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया तहसीलदार बेगूं द्वारा अपने निर्णय में वसीयत के आधार पर तो प्रार्थी के नाम व मृतक नारायण की पुत्री के दो पुत्र विपक्षीगण है के नाम पर कृषि आराजी दर्ज किये जाने का निर्णय किया है, और इसी के आधार पर इन्तकाल संख्या 954 खोला गया है। मूल वाद में हमें यह देखना है कि क्या वर्णित कृषि आराजी जो दर्ज की गई वह तहसीलदार के निर्णय के आधार पर सही दर्ज की गई या नहीं? क्या उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी के केवल प्रार्थी/वादी ही अधिकारी है या विपक्षीगण अधिकारी है ये सभी तथ्य मूलवाद में ही निस्तारित होंगे, जबकि कृषि भूमि दोनों ही प्रार्थी/विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर दोनों ही पक्ष कब्जा होने का कथन करते है, हमारी विनम्र राय से प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी किसके नाम पर रहनी चाहिए है इसके निस्तारण में मूलवाद में सभी दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह के आधार पर निस्तारण होना अभी शेष है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि जिसके कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनो ही संयुक्त खातेदार दर्ज होकर उनके हिस्से भी जमाबंदी में दर्ज किये हुए है। यह कृषि आराजी दो नो पक्षो को जरिये नामान्तरण संख्या 954 से दर्ज किये जाने का अंकन किया हुआ है। तथा कृषि भूमि तहसीलदार के निर्णय से दर्ज की गई है। दोनो ही पक्ष कब्जा हो ने का कथन करते है, लेकिन प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर ही प्रार्थी इस न्यायालय में दावा एवं यह प्रार्थना पत्र लेकर आए है। यदि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी की यथास्थिती कायम नहीं रखी जाती है तो संभवतया प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य विवाद बढने की पूर्णतय संभावना है।

इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है, तहसीलदार द्वारा किये गये निर्णय अनुसार यह कृषि आराजीयात प्रार्थी के नाम पर वसीयत के आधार पर एवं विपक्षीगण के नाम पर मृतक खातेदार के दोहित्र होने के आधार पर दर्ज की गई है। कानून प्रावधान है कि किसी भी खातेदार या सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता हैं। लेकिन प्रार्थी जो इस न्यायालय में दावा लेकर आए वह घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है प्रार्थी/वादी का कथन है कि वसीयत जो प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की गई वह सम्पूर्ण सम्पत्ति के लिए की गई है, जबकि विपक्षीगण का नाम जो अंकित किया है वह गलत किया है, यहा विपक्षीगण का कथन यह है कि जो वसीयत की है वह कूट रचित होकर फर्जी है जिसको निरस्त कराने हेतु उनके द्वारा न्यायालय में दावा पेश किया गया है। हमारे यहॉ विचाराधनी वादपत्र में हमें यह देखा जाना है कि जो वसीयत है वह सही है या नहीं क्यो वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण आराजी के खातेदार प्रार्थी होते है या नहीं होते हैं। यह सभी तथ्य मूलवाद में देखा जाना है लेकिन इस दोरान यदि विपक्षीगण ने भूमि उनके नाम होने का लाभ उठाते हुए विक्रय कर दी तो प्रार्थी को आर्थिक क्षति होगी ऐसी संभावना प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में प्रकट की है। चूँकि वर्णित भूमि के दोनो ही पक्ष खातेदार है इसलिए हम उचित समझते है कि मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थी व विपक्षीगण मौके एवं रिकोर्ड की यथास्ती बनाए रखें।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 मे प्रार्थी व विपक्षीगण मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक मौजा मेघपरा की कृषि आराजी संख्या 811, 862/56मी कीता–2 कुल रकबा 1.699हैक्टर एवं आराजी संख्या 812 रकबा 0.2350 हैक्टर एवं आराजी संख्या 680, 681, 866, 867 कीता–4 कुल रकबा 0.5350 हैक्टर एवं आराजी संख्या 965/56 रकबा 0.6480 हैक्टर भूमि के रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिती कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं